

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके./पीएच.डी./16-17/ 259-311

दिनांक: 25/07/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रो. डॉ. जसपाल एस. सन्धू, माननीय सचिव महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान, आयोग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 आपके पत्र क्रमांक एफ.1-15/2009(ए.आर.सी./पी.टी.।।।) दिनांक 25.04.2016 के निर्देशों की अनुपालना में सादर प्रेषित।
2. श्री पी.आर. शर्मा, माननीय सचिव महोदय, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुष मंत्रालय, भारत सरकार), 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी डी. ब्लॉक, नई दिल्ली-110058 पत्र क्रमांक 16-3/2016-नॉमिनी दिनांक 09.06.2016 की अनुपालना में सादर प्रेषित।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
4. प्राचार्य, विश्वविद्यालय आयुर्वेद महाविद्यालय, डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
5. डॉ. ब्रह्मानन्द शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कायचिकित्सा, विश्वविद्यालय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं सम्बंधित नोडल अधिकारी को भेजकर लेख है कि विन्दु संख्या 1 की अनुपालना सुनिश्चित करावें।
6. प्रभारी अधिकारी, तकनीकी शाखा, डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को भेजकर लेख है कि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाईट पर रैगिंग विरोधि पेज डवलप कर UGC Regulation on curbing the menace of Ragging in Higher educational Institution, 2009, संलग्नक '।' छात्र के माध्यम से एवं संलग्न '।।' संरक्षक के माध्यम से हस्ताक्षरयुक्त घोषणापत्र, "फारमेट ऑफ एंटी-रैगिंग कमेटी रिपोर्ट" आदि विवरण पत्र अपलोड करावे साथ ही हेल्पलाइन संख्या 1800-180-5522 व ई-मेल helpline@antiragging.in भी इस पेज के माध्यम से वेबसाईट पर फ्लेश करावें इस कार्य हेतु 07 कार्यदिवसों की समयावधि प्रदान की जाती है।
7. सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र.....
8. रक्षित प्रति।

o/c कुलसचिव
25/07/16